

प्रेषक,

श्री भोला नाथ तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
4. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 12 अप्रैल, 2001

विषय: ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धतियों को अपनाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि जीवन एवं पर्यावरण के अस्तित्व के लिए जल एक अनिवार्य प्राकृतिक संसाधन है। परन्तु ग्राउण्ड वाटर स्रोत के अनियोजित ढंग से मनमानी मात्रा में अति दोहन के कारण ग्राउण्ड वाटर स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है तथा शहरों की बढ़ती हुई आबादी को समुचित पेयजल की व्यवस्था प्रदान करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि पेय जल के उपयोग एवं ग्राउण्ड वाटर स्रोतों के संरक्षण, मित्ययता, जल प्रयोग तथा रिचार्जिंग में समुचित जल-प्रबन्धन द्वारा संतुलन स्थापित नहीं किया गया तो निकट भविष्य में पेयजल का भारी संकट उत्पन्न होने की आशंका है। इसलिए जल संसाधन की संरक्षा एवं सुरक्षा हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सरल, कुशल और कम लागत वाली पद्धतियों को अपनाए जाने की आवश्यकता है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर के समुचित प्रबन्धन हेतु योजनाओं की संरचना तथा विकास एवं निर्माण के समय शासन द्वारा विचारोपरान्त निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

2.1 महायोजना/जोनल प्लान स्तर पर कार्यवाही

नगरीय क्षेत्रों में प्राकृतिक जलाशयों, तालाबों झीलों को चिन्हित कर महायोजना/जोनल डेवलपमेंट प्लान में उनके अनिवार्य संरक्षण हेतु प्राविधान किए जाएं एवं इनके अन्तर्गत आने वाली भूमि को किसी अन्य उपयोग में प्रस्तावित न किया जाए। साथ ही जलाशयों, तालाबों को प्रभावी रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उपयोग में लाने हेतु चारों ओर के क्षेत्र का ड्रेनेज यथासम्भव इन्ही जलाशयों में निस्तारित करने हेतु प्राविधान किए जाएं, परन्तु औद्योगिक क्षेत्रों का प्रवाह उचित उपचार के उपरान्त ही इनमें मिलाया जाए।

2.2 योजना/ले-आउट प्लान स्तर पर कार्यवाही

- (i) 20 एकड़ एवं अधिक क्षेत्रफल की विभिन्न योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्रों के अन्तर्गत कुल योजना क्षेत्र के लगभग 5 प्रतिशत भूमि पर तालाब/जलाशय (Water Bodies) बनाई जाएं जिनसे ग्राउण्ड वाटर चार्ज हो सके। ऐसे जलाशय/तालाब का न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ होगा और उसकी गहराई 6 मीटर होगी।
- (ii) 20 एकड़ से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में उपरोक्तानुसार तालाब/जलाशय बनाए जाएं अथवा पार्क/ग्रीन बेल्ट के अन्तर्गत निर्धारित मानक के अनुसार एक कोने में रिचार्ज-वैल/रिचार्ज टैन्क बनाए जाएं।
- (iii) नई योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र का ज्योलॉजिकल / हाइड्रोलॉजिकल / हाइड्रोज्योलॉजिकल सर्वेक्षण कराया जाए ताकि ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार उपयुक्त पद्धति को अपनाया जा सके।
- (iv) पार्कों में पक्का निर्माण (पक्के पेवमेंट सहित) 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाए तथा फुटपाथ व ट्रेक्स यथासम्भव परमिएबल या सेमी-परमिएबल परफोरेटेड ब्लॉक्स के प्रयोग से ही बनाए जाएं।


2.3 भवन निर्माण स्तर पर कार्यवाही

- (i) 1000 वर्ग मीटर एवं इससे अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोगों के भूखण्डों तथा सभी ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में छतों एवं खुले स्थानों से प्राप्त होने वाले बरसाती जल को परकोलेशन पिट्स (Percolation Pits) के माध्यम से ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग के लिए अनिवार्य किया जाए। इस हेतु भवन उपविधियों में भी व्यवस्था की गई है तथा उसी के अनुसार भवन मानचित्र स्वीकृत किए जाएंगे।
- (ii) भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय भवनों में छतों एवं खुले स्थानों से प्राप्त होने वाले बरसाती जल को ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा इसके लिए आवश्यक धनराशि भवन की लागत में ही प्राविधानित की जाए।
- (iii) पूर्व में निर्मित शासकीय भवनों में भी रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्ज प्रणाली को अपनाया जाए तथा इसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था सभी विभागों द्वारा अपने-अपने कार्यक्रमों के अन्तर्गत सुनिश्चित की जाए।

2.4 अन्य कार्यवाही

- (i) सड़कों, पार्कों तथा खुले स्थान में वृक्षारोपण हेतु ऐसे पेड़-पौधों की प्रजातियों का चयन किया जाए जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा जो कम जल ग्रहण करके ग्रीष्म ऋतु में भी हरे-भरे रह सकें।
- (ii) यदि सम्भव हो तो सड़कों के किनारे कच्चे रखे जाएं जिनमें "ब्रिक-ऑन-एज" / "लूज-स्टोन पेवमेन्ट" का प्राविधान किया जाए ताकि ग्राउण्ड वाटर की चार्जिंग सम्भव हो सके।

3. रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्ज प्रणाली के सम्बन्ध में अन्य तकनीकी जानकारी क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल परिषद लखनऊ क्षेत्र, निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, लखनऊ से प्राप्त की जा सकती है।
4. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यरत संस्थाओं को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग की विभिन्न पद्धतियों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु भी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।


भवदीय,

(मोला नाथ तिवारी)
मुख्य सचिव

संख्या 1703A(1)/9-आ-1-29-विविध/98 (आ.ब.) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री/राज्य आवास मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लि0।
5. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल परिषद, लखनऊ क्षेत्र,
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम।
7. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. सदस्य/सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश।
9. अध्यक्ष, यू.पी. रेडको।
10. अध्यक्ष, आर्कीटेक्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,



(अतुल कुमार गुप्ता)
सचिव

प्रेषक,

नवीन चन्द्र वाजपेई,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 25 अप्रैल, 2006

विषय :- भू-जल संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु वर्षा जल संचयन (रिन वाटर हार्वेस्टिंग) प्रणाली को अपनाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग गंगा-यमुना के दोआब में स्थित है, जहां विश्व का विशालतम भू-जल-भण्डार उपलब्ध है, किन्तु पेय जल, सिंचाई तथा उद्योगों हेतु जल की बढ़ती मांग के कारण भू-जल स्रोतों का अनियन्त्रित दोहन अनवरत रूप से जारी है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के अधिकांश भागों में धीरे-धीरे गिरते हुए जल स्तर, नलकूपों की असफलता एवं पारिस्थितिकीय असंतुलन के रूप में परिलक्षित हो रहा है। भू-जल स्रोतों के साथ-साथ सतही जल स्रोत विशेष रूप से तालाब, पोखर एवं जलाशय, आदि भी सूख रहे हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकीय संरक्षण की दृष्टि से जल का संरक्षण एवं संचयन वर्तमान में एक चुनौती बन चुका है। अतः समय रहते इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में जल संकट का सामना न करना पड़े।

2- उल्लेखनीय है कि प्रति वर्ष लाखों गैलन वर्षा जल व्यर्थ बहकर समुद्र में चला जाता है, जिसे अन्यथा भू-जल संचयन की विभिन्न संरचनाओं के माध्यम से भूमि के अन्दर प्रवेश करा कर भविष्य में सम्भावित जल संकट का समाधान सुनिश्चित हो सकता है। इस प्रकार वर्षा जल संरक्षण एवं भूजल रिचार्जिंग विधा एक प्रभावी विकल्प के रूप में उभरी है, जिसे व्यापक रूप से अपनाए जाने पर दबावग्रस्त भूगर्भीय जल स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित हो सकता है एवं उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निम्नांकित शासनादेश जारी किए गए हैं :-

(1) शासनादेश संख्या: 1703ए/9-आ-1-29 विविध/93, दिनांक 12.4.2001

- (II) शासनादेश संख्या: 3771/9-आ-1-17 विविध/2003, दिनांक 19.6.02
- (III) शासनादेश संख्या: 3887/9-आ-1-रेन वा.हार्व. /2002, दिनांक 02.09.02
- (IV) शासनादेश संख्या: 1760/9-आ-1-04-17 विविध/2003, दिनांक 29.07.04

3- रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना को सुगम, सुरक्षित, लागत प्रभावी एवं लोकप्रिय बनाए जाने हेतु उपर्युक्त शासनादेशों के विभिन्न प्राविधानों पर इस विधा में विशेषज्ञ विभागों/ संस्थाओं से शासन स्तर पर व्यापक विमर्श किया गया जिसके कम में कतिपय संशोधन आवश्यक पाए गए हैं। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भू-जल संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को अपनाए जाने के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा पूर्व में जारी उपरिलिखित शासनादेशों के गहन परीक्षण एवं सम्यक विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से निम्न संशोधन एवं व्यवस्था लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

3.1 नगरीय क्षेत्रों में प्राकृतिक तालाबों, पोखरों, जलाशयों, आदि का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा, इस हेतु ऐसे समस्त तालाबों, पोखरों, जलाशयों को महायोजना/जोनल डेवलपमेंट प्लान में चिन्हित कर उनके वर्तमान उपयोग हेतु आरक्षित किया जाए तथा उनमें केवल वर्षा जल का 'सरफेस रन आफ' व सम्बन्धित क्षेत्र से गुजर रहे प्राकृतिक ड्रेनेज (जिनमें प्रदूषित जल न आता हो), को ही मिलाने की व्यवस्था रखी जाए। ऐसे तालाबों/पोखरों/जलाशयों, आदि में भू-जल रिचार्जिंग हेतु रिचार्ज शैफ्ट किसी भी दशा में नहीं बनाए जाएंगे जिनमें औद्योगिक क्षेत्रों का प्रदूषित जल-प्रवाह आता हो अथवा प्रदूषित जल आने की सम्भावना हो। रिचार्ज शैफ्ट स्थल विशेष की परिस्थितियों का विश्लेषण करने के उपरान्त ही बनाए जाए। इसके अतिरिक्त तालाबों, पोखरों, जलाशयों, आदि को अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण/कब्जे से मुक्त रखा जाए तथा सम्बन्धित अभिकरण द्वारा उनका जीर्णोद्धार किया जाए।

3.2 नयी योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र का जियोलॉजिकल/हाइड्रोलॉजिकल/हाइड्रोजियोलॉजिकल सर्वेक्षण कराया जाए एवं भू-जल की रिचार्जिंग हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार उपयुक्त पद्धति को अपनाया जाए।

3.3 20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्र के अन्तर्गत कुल योजना क्षेत्र की लगभग 5 प्रतिशत भूमि पर भू-जल की रिचार्जिंग हेतु जलाशय का निर्माण किया जाए, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ होगा। जलाशय के निर्माण के पूर्व सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैचमेंट एरिया को चिन्हित करते हुए वर्षा जल के आयतन, क्षेत्र के हाइड्रोजियोलॉजिकल, टोपोग्राफी, लीथॉलाजी, मृदा गुणों तथा प्रस्तावित जलाशय में वर्षा जल के सम्भावित उहराव (रिटेन्शन) व 'स्टेगनेशन' का अध्ययन एवं तत्सम्बन्धी फिजिबिलिटी का आकलन किया जाए और उसके

अनुसार ही जलाशय की गहराई निर्धारित की जाए, परन्तु जलाशय की गहराई किसी भी देश में 03 मीटर से अधिक न रखी जाए। इसके अतिरिक्त जलाशय में केवल उसी योजना के 'सरफेस-रन-आफ' को निस्तारित करने की व्यवस्था की जाए तथा प्रदूषित जल एवं उत्प्रवाह को उसमें न मिलाया जाए।

- 3.4 20 एकड़ से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में भी उपरोक्तानुसार जलाशय बनाए जाए एवं पार्क व खुले क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में 'रिचार्ज पिट' / 'रिचार्ज शीफ्ट' बनाए जाए। ऐसे 'रिचार्ज पिट' / 'रिचार्ज शीफ्ट' का निर्माण क्षेत्रीय हाइड्रोजियोलॉजी के अनुरूप एवं भू-जल के ढलान की दिशा में किया जाए।
- 3.5 पार्क में पक्का निर्माण, पक्के पेवमेन्ट सहित 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाए तथा फुटपाथ एवं ट्रेव्स यथासम्भव 'परमीएबिल' या 'सेमी परमीएबिल पॅरफॉरेटेड ब्लॉक्स' के प्रयोग से ही बनाए जाए। वर्षा जल के अधिकतम भूमिगत रिसाव को पार्क एवं खुले क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाए।
- 3.6 नव निर्मित होने वाले समस्त उपयोगों के भवनों में 'रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग' प्रणाली अनिवार्य रूप से स्थापित करायी जाए। इस हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाए :-

(A) (क) शासकीय अभिकरणों / निजी विकासकर्ताओं / सहकारी आवास समितियों द्वारा प्रस्तावित नई योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग को छोड़कर अवस्थापना सुविधाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेंज के नेटवर्क के साथ-साथ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू-जल की सामूहिक रिचार्जिंग हेतु अन्य पृथक नेटवर्क का प्राविधान किया जाए, जिससे व्यक्तिगत भूखण्डों / भवनों हेतु रिचार्जिंग पिट से लेकर उपयुक्त स्थलों पर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर्स की व्यवस्था हो जाए। उक्त व्यवस्था पर आने वाले व्यय को योजना की विकय-योग्य भूमि पर भारित करते हुए लाभार्थियों से भूखण्डों / भवनों के विकय मूल्य में जोड़कर वसूली की जाए।

(ख) शासकीय अभिकरणों / निजी विकासकर्ताओं / सहकारी समितियों द्वारा विकसित योजनाओं में 100 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के सभी प्रकार के भूखण्डों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा। किन्तु 200 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर निर्मित होने वाले भवन के सम्बन्ध में मात्र यह बाध्यता होगी कि भवनों की छत से वर्षा जल का सामूहिक रिचार्ज योजना के नेटवर्क में ही प्रवाहित किया जाए, जबकि 200 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में यदि सामूहिक रिचार्ज नेटवर्क नहीं हो, तो भवन स्वामी को स्वयं ही इस पद्धति की स्थापना करना अनिवार्य होगा।

3.7 भू-जल संसाधनों की सुरक्षा के दृष्टिगत केवल छतों से प्राप्त होने वाले बरसाती जल को ही भू-जल स्रोतों में रिचार्ज कराया जाए। खुले क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले वर्षा जल को कदापि रिचार्जिंग के उपयोग में न लाया जाए क्योंकि रिचार्जिंग वैल विधा से वर्षा जल सीधे स्ट्रेटा (एक्यूफर) में प्रवेश करेगा, जिससे भू-जल प्रदूषित हो सकता है। इसके अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण मानक तकनीक के अनुसार सुनिश्चित किया जाए तथा वर्षा जल को न्यूनतम आवश्यक गहराई तक ही भूमि के अन्दर प्रवेश कराया जाए, ताकि भू-जल स्रोतों के प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो। (A)

3.8 सड़कों के किनारे यथासम्भव कच्चे रखे जाएं, जिनमें ब्रिक आन एज/लूज स्टोन पेवमेन्ट का प्राविधान किया जाए, ताकि भू-जल की अधिकतम रिचार्जिंग सम्भव हो सके।

3.9 सड़कों, पार्कों तथा खुले क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु ऐसे पेड़-पौधों की प्रजातियों का चयन किया जाए, जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा जो कम जल ग्रहण करके भी ग्रीष्म ऋतु में हरे-भरे रह सकें।

3.10 रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु स्थापित रिचार्ज स्ट्रक्चर्स के अनुरक्षण एवं रख-रखाव का कार्य सम्बन्धित विभाग/संस्था/लाभार्थी द्वारा सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाए।

3.11 जलरोध (वाटर लॉगिंग) की समस्या वाले क्षेत्रों में भू-जल रिचार्जिंग प्रणाली न अपनायी जाए, परन्तु भवनों की छतों से प्राप्त होने वाले वर्षा जल के संग्रहण हेतु व्यवस्था कराई जा सकती है।

3.12 रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी एवं तकनीकी विशेषज्ञता जैसे कि क्षेत्र का जियोलॉजीकल, हाइड्रोलॉजीकल एवं हाइड्रोजियोलॉजीकल सर्वेक्षण, फिजीबिलिटी के आंकलन, रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का संरचनात्मक डिजाइन एवं निर्माण, उपलब्ध टेक्नोलॉजी एवं इक्विपमेन्ट, निर्माण एवं रख-रखाव की लागत, आदि के सम्बन्ध में निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश तथा क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भू-जल परिषद, लखनऊ क्षेत्र से तकनीकी परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

4- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में भू-जल संचयन एवं रिचार्जिंग की विभिन्न योजनाओं के समन्वय एवं अनुश्रवण तथा भू-जल अनुसंधान, अन्वेषण, दीर्घकालीन प्रबन्धन एवं नियोजन हेतु भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश को 'नोडल एजेंसी' घोषित किया गया है। अतः रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं भू-जल रिचार्जिंग की विभिन्न पद्धतियों में प्रयुक्त की जा रही तकनीकों एवं रिचार्ज स्ट्रक्चर्स से प्राप्त होने वाले भू-जल रिचार्ज एवं भू-जल स्तर पर सम्भावित प्रभाव के आंकलन तथा 'इम्पेक्ट असेसमेन्ट' की व्यवस्था 'नोडल एजेंसी' द्वारा सुनिश्चित की जाए।

5- कृपया उपर्युक्त निर्देशों का प्रभावी रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीन कार्यरत विभागों/संस्थाओं के अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लोकप्रिय बनाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए भी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नवीन चन्द्र वाजपेई
मुख्य सचिव

संख्या : (1)/आठ-1-2005 तदुदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लि. लखनऊ।
4. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू-जल परिषद, लखनऊ।
5. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम।
7. सचिव/सदस्य, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड।
8. अध्यक्ष, यूपीरेडको, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
(के.एल. गीना)
सचिव

प्रेषक,

डा० जे०एन० चैम्बर,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 5 अगस्त, 2010

विषय:- भू-जल संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली तथा पर्यावरण सुधार हेतु वृक्षारोपण सम्बन्धी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भू-जल संरक्षण एवं रिचार्जिंग विधा को अपनाएं जाने तथा पर्यावरण सुधार हेतु वृक्षारोपण के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी कृपया निम्नलिखित शासनादेशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें:-

- (1) शासनादेश संख्या-2085/9-आ-3-99-23विविध/99, दि० 20 मई, 1999
- (2) शासनादेश संख्या-1703ए/9-आ-1-29विविध/98, दि० 12.4.2001
- (3) शासनादेश संख्या-3631/9-आ-1-17विविध/2003, दि० 19.6.2003
- (4) शासनादेश संख्या-यू०ओ०-35/आठ-1-2005, दिनांक 25.04.2006
- (5) शासनादेश सं०-3982/आठ-1-08-17विविध/03टी.सी.-1, दि० 01 जुलाई, 2008
- (6) शासनादेश संख्या-1595/आठ-1-09-17विविध/03टी.सी., दि० 19.6.09।

2. उपर्युक्त शासनादेशों के क्रम में रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को लागू किये जाने और वृक्षारोपण सुनिश्चित करने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में प्राविधान किये गये हैं, जिसके अनुसार मानचित्र स्वीकृति तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करते समय रूफ-टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं भू-जल रिचार्जिंग हेतु विद्यमान तालाबों/जलाशयों का संरक्षण एवं नये जलाशयों का प्राविधान अनिवार्य किया गया है। परन्तु भू-जल स्रोतों के अनवरत एवं अनियंत्रित दोहन के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में भू-जल स्तर निरन्तर गिर रहा है एवं सतही जल स्रोत, विशेष रूप से तालाब, पोखर, जलाशय नदी, नाले, आदि धीरे-धीरे सूख रहे हैं। इस प्रकार पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय संरक्षण की दृष्टि से जल संरक्षण एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है और समय रहते यदि इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई, तो निकट भविष्य में जन-सामान्य को जल संकट का विकट सामना करना पड़ सकता है।

3. रेनवाटर हार्वेस्टिंग तथा वृक्षारोपण के संबंध में यद्यपि आवास विभाग के अभिकरणों हेतु शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं और इनकी प्रगति का अनुश्रवण शासन द्वारा निरन्तर किया जाता है, परन्तु शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि ग्राउण्ड लेबल पर इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की स्थिति संतोषजनक नहीं है, जो एक चिन्ता का विषय है। अतः इस संबंध में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के क्रम में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भूजल संरक्षण एवं रिचार्जिंग तथा पर्यावरण सुधार हेतु निम्न निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय:-

3.1 भूजल संरक्षण एवं रिचार्जिंग:

- (1) रेनवाटर हार्वेस्टिंग नीति के अनुसार 300 वर्गमीटर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले भवनों में रूफ-टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जाय। इस हेतु मानचित्र स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (2) नगरीय क्षेत्रों में तालाबों, पोखरों, जलाशयों आदि को राजस्व अभिलेखों के अनुसार चिन्हित कर महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान/ले-आउट प्लान में उन्हें संरक्षित किया जाय और उनमें केवल वर्षा जल के "सरफेस रन-आफ" को मिलाने की व्यवस्था की जाय। तालाबों, पोखरों, जलाशयों आदि को अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण/कब्जों से मुक्त रखा जाय और उनका जीर्णोद्धार भी सुनिश्चित किया जाय।
- (3) 20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में पार्क एवं खुले क्षेत्रों के अन्तर्गत योजना के कुल क्षेत्रफल की लगभग 5 प्रतिशत भूमि पर भूजल की रिचार्जिंग हेतु नए जलाशयों का निर्माण किया जाए, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ एवं अधिकतम गहराई 3 मीटर रखी जाय। निर्मित किये जाने वाले जलाशय के अन्तर्गत उस योजना के "सरफेस रन-आफ" को मिलाने की व्यवस्था की जाय।
- (4) 20 एकड़ से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में भी यथासम्भव उपरोक्तानुसार नये जलाशय बनाये जायें तथा पार्क एवं खुले क्षेत्रों में कोने पर भूजल की रिचार्जिंग हेतु रिचार्ज पिट/रिचार्ज शाफ्ट बनाये जाएं।
- (5) रेनवाटर हार्वेस्टिंग हेतु स्थापित रिचार्ज स्ट्रक्चर/पद्धति के अनुरक्षण एवं रख-रखाव का कार्य संबंधित विभाग/संस्था/लाभार्थी द्वारा सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाए।
- (6) जलरोध (वाटर लॉगिंग) की समस्या से ग्रसित क्षेत्रों में भूजल रिचार्जिंग प्रणाली न अपनायी जाए, परन्तु भवनों की छतों से प्राप्त होने वाले वर्षा जल के संग्रहण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

3.2 वृक्षारोपण एवं पर्यावरण सुधार:

(क) सड़कों के किनारे वृक्षारोपण :

- (1) पर्यावरण सुधार हेतु 9 मीटर तथा इससे अधिक परन्तु 12 मीटर से

कम चौड़ी सड़कों के एक ओर तथा 12 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाय। पेड़ों के मध्य की दूरी 10 मीटर से अधिक न रखी जाय। अधिक चौड़ाई की सड़कों में डिवाइजर, फुटपाथ एवं ब्लैक टॉप के अलावा खाली छोड़ी जा रही समस्त भूमि पर भी वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाय।

(ख) आवास भूखण्डों में :

- (I) 200 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड के अन्दर न्यूनतम एक पेड़ लगाया जाय।
- (II) 200 से 300 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों में दो पेड़ लगाए जाएं।
- (III) 300 से 500 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों में चार पेड़ लगाये जाएं।
- (IV) समूह आवासीय योजना में प्रति हेक्टेयर 50 पेड़ लगाए जाएं भवन मानचित्र के साथ लैण्डस्केपिंग प्लान का अनुमोदन अनिवार्य होगा।
- (V) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, मलिन बस्ती सुधार, आदि योजना में प्रति 50 परिवार पर न्यूनतम 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल के स्थल पर समूह के रूप में पेड़ लगाए जायेंगे।

(ग) औद्योगिक क्षेत्र में:

- (I) प्रति 80 वर्गमीटर भूखण्ड क्षेत्रफल पर एक पेड़ की दर से पेड़ लगाये जाएं।
- (II) औद्योगिक विकास योजना में कुल अनुमन्य खुले स्थल पर 20 प्रतिशत भाग में प्रति हेक्टेयर 125 पेड़ की दर से पेड़ लगाय जाएं।
- (III) बड़े प्रदूषणकारी उद्योगों को आवासीय क्षेत्र से सघन ग्रीन बेल्ट द्वारा पृथक किया जाय , जो औद्योगिक क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।
- (IV) औद्योगिक विन्यास मानचित्र के साथ लैण्डस्केप प्लान का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(घ) व्यावसायिक क्षेत्र में:

- (I) प्रति 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर एक पेड़ लगाया जाय।
- (II) वाणिज्यिक योजना में कुल अनुमन्य खुले स्थल के न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग पर ग्रीनरी होगी, जहाँ प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 50 पेड़ की दर से पेड़ लगाये जाएं।

(च) संस्थागत/सामुदायिक सुविधाओं के भूखण्डों में :

कुल क्षेत्रफल के न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग पर ग्रीनरी होगी, जहाँ प्रति हेक्टेयर 125 पेड़ की दर से पेड़ लगाए जाय।

(छ) पार्कों में:-

प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 125 पेड़ लगाए जाएं।

(ज) कीड़ा स्थल/खुले क्षेत्रों में:

ऐसे सभी स्थलों के न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग पर ग्रीनरी होगी, जहाँ प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 125 पेड़ लगाए जाएं।

(झ) आवासीय एवं संस्थागत भूखण्डों के आगे ग्रीनवर्ज का विकास: भविष्य में विकसित की जाने वाली योजनाओं में आवासीय तथा संस्थागत भूखण्डों/भवनों के आगे "राइट-ऑफ-वे" के पश्चात् न्यूनतम 5 फिट चौड़ी ग्रीन वर्ज का प्राविधान किया जाए, जिसके अन्तर्गत घास की पट्टी तथा वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रत्येक भूखण्ड/भवन को "ग्रीन फ्रन्टेज" उपलब्ध हो, जो पर्यावरण सुधार के साथ-साथ कालोनी के सौन्दर्यीकरण में भी उपयोगी होगा।

4. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आवास आयुक्त तथा विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों द्वारा विद्यमान तालाबों के संरक्षण और नयी योजनाओं में नए जलाशयों के सृजन एवं उनके रखरखाव की व्यक्तिगत रूप से मौके पर पुष्टि कर शासन को प्रत्येक माह नियमित रूप से सूचना प्रेषित की जायेगी। यदि उक्त निर्देशों के अनुपालन में कोई शिथिलता शासन के संज्ञान में आती है, तो संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

डा० जे०एन० चैम्बर
प्रमुख सचिव

संख्या-3348 (1)/आठ-1-2010, तददिनांक ।

1. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।
2. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु।
5. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि कृपया शासनादेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए, शासनादेश की प्रतियाँ समस्त संबंधित को प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच०पी० सिंह)
उप सचिव